पत्रांक :– 15/नीतिनि0–07–13/2015 का॰ 9487 /

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

रतन कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त,
सभी विभागाध्यक्ष,
झारखंड।

राँची, दिनांक 30/10/2015

विषय :– झारखंड सेवा संहिता के नियम 74 के आलोक में सरकारी सेवकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति।

महोदय/महोदया,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखंड सेवा संहिता के नियम 74 (क) में प्रावधानित है कि राज्य सरकार किसी भी सरकारी सेवक को जिसने प्रथम नियुक्ति की तारीख से कर्त्तव्य के 21 वर्ष एवं कुल सेवा के 25 वर्ष पूरे किये हों, सेवानिवृत्त करा सकती है। यदि वह समझे कि उसकी कार्यदक्षता या आचार ऐसा नहीं है, जिससे उसे सेवा में बनाये रखना न्याय हो। इसी नियम के उपनियम 'ख' (ii) में यह व्यवस्था की गई है कि संबद्ध नियुक्ति प्राधिकार किसी सरकारी सेवक को कम–से–कम तीन माह की पूर्व लिखित सूचना अथवा ऐसी सूचना के बदले में तीन माह के वेतन तथा भत्ते के समतुल्य राशि देकर 30 वर्ष की अर्हक सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर अथवा इसके बाद सूचना में निर्दिष्ट किसी तिथि को लोकहित में उस सरकारी सेवक को सेवा से निवृत्त होने की अपेक्षा कर सकेगा। इस नियम के उपनियम 'ख' (iii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं लोकहित में सेवानिवृत्त संबंधी मामलों में सेवांत लाभों के अनुमान्यता का प्रावधान किया गया है।

2. सरकार द्वारा उपर्युक्त नियम के अनुसरण में संबद्ध नियुक्ति प्राधिकार से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों की कार्यदक्षता, सत्यनिष्ठा एवं आचार की समीक्षा उनके सेवा इतिहास एवं कार्यकलाप के आधार पर तीन माह के अंदर करने की अपेक्षा की गई है।

3. अतः अनुरोध है कि सेवा संहिता के उपर्युक्त नियमों एवं सरकार के निदेश का अनुपालन करते हुए अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,

(रतन कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 15/नीतिनि0–07–13/2015 का॰ 9487 / रांची, दिनांक 30/10/2015

प्रतिलिपि :– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखंड, रांची/विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।